

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4171
26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

4171. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और विशिष्ट पहचान संख्या जैसी पहलों के फलस्वरूप चोरी तथा भ्रष्टाचार में कमी आने के कारण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन और दक्षता में अत्यधिक सुधार हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में और सुधार करने के लिए ऐसे किसी अन्य नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची में और अधिक नए खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) “सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस)” को लागू कर रहा है। वर्तमान में, स्मार्ट-पीडीएस विकास के चरण में है। यह परियोजना एनआईसी द्वारा अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थी और अप्रैल 2025 से कई चरणों में एप्लीकेशन शुरू होने की उम्मीद है।

स्मार्ट-पीडीएस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करना है ताकि एनएफएसए और राज्य स्कीमों को कवर करते हुए पूरे पीडीएस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी प्रचालित सुधार और परिवर्तनकारी बदलाव किया जा सके। यह आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस प्रचालन की राज्य स्तरीय तकनीकी सीमाओं को दूर करता है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी पीडीएस से संबंधित प्रचालनों को कवर करने वाला एकीकृत एकल उन्नत केंद्रीय प्रणाली एप्लीकेशन को लागू किया गया है।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत शासित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थी परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, पर्यवेक्षण और उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी आदि की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की हैं।

पीडीएस में भ्रष्टाचार, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रासंगिक खंड के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/2024 तक की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो, के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में, एनएफएसए के तहत अन्य वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4171 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/ संघ क्षेत्रों द्वारा जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के सम्बंधित खंडों के अंतर्गत की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 31/12/2024 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना का संकलन)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापो की संख्या	गिरफ्तार/ मुकद्मा चलाए गए/ दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकान के निलंबित/ रद्द लाईसेंस/ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस/ दर्ज प्राथमिकियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2015	11803	2072	53	2534
		2016	2889	832	*	*
		2017	25519	9774	8	811
		2018	27189	10831	13	576
		2019	2616	1160	51	849
		2020	4378	1653	66	438
2	अरुणाचल प्रदेश	2015	*	*	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
3	असम	2015	1352	849	*	124
		2016	772	272	*	36
		2017	902	441	4	76
		2018	*	*	*	*
		2019	3497	1197	*	82
		2020	*	*	*	*
		2022	1917	130	*	17
		2023	*	*	*	*
		2024	11008	2308	0	1146
4	बिहार	2015	*	*	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
5	छत्तीसगढ़	2015	4811	561	*	149
		2016	6050	647	2	122
		2017	5702	443	31	225
		2018	6658	1161	4	60

		2019	6144	934	*	50
		2020	2453	390	7	12
		2021	6301	558	0	76
		2022	8176	1390	0	56
6	दिल्ली	2015	1381	149	8	755
		2016	2026	14	7	741
		2017	390	60	*	24
		2018	6534	66	1	522
		2019	9013	93	0	220
		2020	9425	109	1	276
		2021	9854	111	0	337
		2022	6872	56	0	156
7	गोवा	2015	145	3	*	25
		2016	985	15	*	83
		2017	1088	18	*	182
		2018	385	35	*	21
		2019	341	*	*	5
		2020	1190	*	*	208
		2021	1459	1	*	5
		2022	1495	22	*	*
		2023	390	85	*	6
8	गुजरात	2015	6958	*	11	284
		2016	5959	*	3	370
		2017	5704	*	1	197
		2018	7802	*	33	221
		2019	5563	*	2	280
		2020	4374	*	*	97
		2021	3283	*	*	69
		2022	9557	*	*	103
		2024	7775	236	0	1365
9	हरियाणा	2015	*	*	*	*
		2016	1481	105	4	919
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
10	हिमाचल प्रदेश	2015	3138	*	*	325
		2016	4322	*	*	1026
		2017	10983	*	*	523
		2018	16975	*	*	1017
		2019	15301	*	*	699
		2020	9767	-	-	1005
11	जम्मू और कश्मीर	2015	*	*	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*

12	झारखंड	2020	*	*	*	*
		2015	417	4	9	66
		2016	438	18	32	107
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
13	कर्नाटक	2015	61078	614	145	520
		2016	29620	372	33	202
		2017	11516	207	8	296
		2018	11622	198	4	149
		2019	14410	322	62	181
		2020	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
14	केरल	2015	78505	18269	33	108
		2016	93502	24646	8	136
		2017	55781	4579	5	215
		2018	34538	2088	1	3139
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
15	मध्य प्रदेश	2015	32108	1008	162	657
		2016	32978	1156	166	699
		2017	36776	1195	260	713
		2018	37442	1207	177	847
		2019	38296	1408	200	1223
		2020	32822	1328	216	1255
		2020	32822	1328	216	1255
16	महाराष्ट्र	2015	86979	*	200	792
		2016	97067	*	177	818
		2017	43394	*	80	257
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2021	26274	51335	13	395
		2022	42932	6548	37	293
		2023	42968	5758	9	272
17	मणिपुर	2015	54	20	*	*
		2016	6	3	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
18	मेघालय	2015	546	13	*	*
		2016 (अप्रैल से अगस्त 2016)	222	1	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*

		2021	2573	12	*	*
		2022	525	6	*	*
		2024	1290	77	0	121
19	मिजोरम	2015	166	103	2	*
		2016	124	68	*	*
		2017	108	49	*	*
		2018	91	43	*	*
		2019	100	216	*	*
		2020	90	19	*	*
		2021	267	10	*	*
		2022	258	13	*	*
		2023	79	3	*	*
20	नागालैंड	2015	221	*	*	*
		2016	76	12	3	2
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
21	ओडिशा	2015	9200	10325	*	553
		2016	8350	8634	*	152
		2017	12899	3402	1	215
		2018	22481	178	*	206
		2019	20343	197	*	242
		2020	*	20540	6	116
		2021	22557	250	*	130
		2022	27054	4891	9	686
		2023	21520	2480	*	420
		2024	1966	1412	0	-
22	पंजाब	2015	57422	1453	2	1451
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
23	राजस्थान	2015	16895	1895	763	5272
		2016	24293	2183	668	7733
		2017	16299	1636	320	8601
		2018	15112	910	354	2484
		2019	19462	1542	309	4381
		2020	22537	876	791	3029
		2021	*	*	*	*
		2022	143750	15245	5778	36087
24	सिक्किम	2015	260	28	*	*
		2016	475	65	*	*
		2017	616	24	*	*
		2018	1339	28	*	*
		2019	2688	44	*	*

		2020	1987	30	*	*
		2021	2038	18	*	*
		2022	839	15	*	*
		2023	36	15	*	*
		2024	45	20	0	6
25	तमिलनाडु	2015	180520	7700	25	*
		2016	194599	21337	10251	*
		2017	119481	14709	6787	*
		2018	44702	4732	1717	*
		2019	84432	10379	4373	*
		2020	54247	4930	1322	*
		2021	45280	4954	2480	*
		2022	236512	17430	12041	*
		2023	158550	12581	8970	*
26	तेलंगाना	2015	10785	2150	132	693
		2016	11206	2721	259	670
		2017	12425	3231	187	286
		2018	12395	2665	219	200
		2019	13444	2487	216	339
		2020	15056	8352	1429	1118
		2021	18278	6471	2042	1327
		2022	10559	2246	815	557
		2023	5626	1179	2	67
		2024	6895	1465	209	200
27	त्रिपुरा	2015	11249	363	2	340
		2016	11436	503	0	385
		2017	10795	377	0	243
		2018	8665	446	0	290
		2019	12984	465	0	406
		2020	11097	1123	8	581
		2021	1480	77	2	87
28	उत्तराखंड	2015	*	*	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
29	उत्तर प्रदेश	2015	45376	*	1009	6665
		2016	62322	6961	887	6545
		2017	29804	3141	557	2461
		2018 (अप्रैल 18 - मार्च, 19)	138302	*	3385	9419
		2019-20	150970	2343	1086	6404
		2020-21	153393	14329	1199	6506
		2021-22	116734	11207	573	5026
		2022-23	108662	10312	716	4245
		2023	28237	2684	122	820

30	पश्चिम बंगाल	2015	7680	52	*	462
		2016	19619	233	*	41
		2017	36146	655	17	1841
		2018	43127	2057	19	2829
		2019	35378	581	15	2648
		2020	42840	222	57	3263
		2021	28994	156	42	4810
		2022-23	29995	98	59	3507
		2023	18422	2393	42	806
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2015	369	*	*	15
		2016	*	*	*	*
		2017	144	*	*	1
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	266	*	*	1
32	चंडीगढ़	2015	410	*	*	1
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2021	*	*	*	*
		2022	*	*	*	*
		2023	*	*	*	*
		2024	डीबीटी	डीबीटी	डीबीटी	डीबीटी
33	दादरा और नगर हवेली	2015	10	1	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2021	63	*	*	*
		2022	63	*	*	*
34	दमन और दीव	2015	*	*	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2021	51	1	*	1
		2022	51	*	*	

35	लक्षद्वीप	2015	*	*	*	*
		2016	*	*	*	*
		2017	*	*	*	*
		2018	*	*	*	*
		2019	*	*	*	*
		2020	*	*	*	*
		2024	58	0	0	0
36	पुदुचेरी	2015	2825	913	*	7
		2016	2861	1204	*	2
		2017	3166	376	*	*
		2018	4856	706	*	*
		2019	807	205	*	*
		2020	*	*	*	*
		2024	डीबीटी	डीबीटी	डीबीटी	डीबीटी
कुल योग	2015	632663	48545	2556	21798	
	2016	613678	90002	12500	20789	
	2017	439638	44317	8266	17091	
	2018	440215	27351	5927	21980	
	2019	463876	37058	7043	22858	
	2020	365922	53901	5102	17904	
	2021	285486	75161	5152	12263	
	2022	629208	58402	19455	45707	
	2023	275828	27148	9145	2391	
	2024	29037	5518	209	2838	
सकल जोड़ = 2015+2016+2017+2018+2019+ 2020+2021+2022+2023+2024			4175551	467403	75355	185619

* सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।